

क्रमांक :

दिनांक:-

भव्य नीलामी

भीलवाडा शहर में निर्मित आवासों (जहाँ है जैसे है) की मुहरबन्द नीलामी कार्यक्रम

कॉलोनी का नाम तिलक नगर/ रीको/पटेल नगर/ पटेल नगर विस्तार भीलवाडा		निविदा प्राप्त अधिकारी का पता एवं दूरभाष नम्बर कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राज.आ.म. सी-289/290, आर.के. कॉलोनी, भीलवाडा। 01482-220312	निविदा प्राप्त करने की दिनांक एवं समय 17-04-2017 से 24-04-2017 सायं 06:00 बजे तक		निविदा खोलने की दिनांक एवं समय 25-04- 2017 प्रातः 10:30 बजे
क्र.सं.	कॉलोनी का नाम	निर्मित आवास संख्या (जहाँ है जैसे है)	आवास का क्षेत्रफल वर्ग.मी. (प्रत्येक)	प्रस्तावित न्यूनतम बिड मूल्य दर रुपये प्रति आवास	निविदा के साथ देय न्यूनतम अमानत राशि रूपयो में (प्रत्येक)
1	तिलक नगर, भीलवाडा	5-A-31 (HIG)	249.90	4200000.00	210000.00
2	रीको योजना, भीलवाडा (कुल 05)	3/5 (HIG)	210.00	4300000.00	215000.00
		3/11, 3/14, 3/15, 3/16 (HIG)	210.00	5100000.00	255000.00
3	पटेल नगर, भीलवाडा (कुल 03)	6-I-4 (EWS)	41.25	550000.00	27500.00
		6-K-52 (MIG-B)	178.43	3000000.00	150000.00
		6-N-33 (MIG-B)	178.43	3500000.00	175000.00
4	पटेल नगर विस्तार, भीलवाडा (कुल 19)	1/94, 2/73, 2/101, 2/129, 3/34, 3/55 (LIG)	72.00	1100000.00	55000.00
		1/104, 1/105 (MIG-A)	90.00	3250000.00	162500.00
		1/116, 1/118, 1/119, 1/122 (MIG-A)	90.00	2950000.00	147500.00
		1/120 (MIG-A Corner)	90.00	3000000.00	150000.00
		1/3 (HIG)	200.00	5650000.00	282500.00
		1/40, 1/42, 1/43, 1/44, 1/45 (HIG)	200.00	6020000.00	301000.00

1- बिड़दाताओं द्वारा नीलामी बोली में बिड़ प्रस्तुत करने हेतु, बिड़ आवेदन पत्र मय नीलामी बोली की शर्तों के विस्तृत विवरण, संबंधित कार्यालय से दिनांक 17.04.2017 से 24.04.2017 तक किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय के दौरान प्राप्त किया जा सकता है अथवा मण्डल की वेबसाईट www.rhbonline.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

सम्पर्क सूत्र

आवासीय अभियन्ता
खण्ड-भीलवाडा फोन नं. 01482-220312

उप आवासन आयुक्त
वृत्त-उदयपुर फोन नं. 0294-2583327

नीलामी की शर्तः—

- 1) प्रत्येक नीलामी में भाग लेने के लिये बोलीदाता को राशि रूपये 10 करोड़ से कम मूल्य की सम्पत्ति हेतु न्यूनतम बोली मूल्य का 05 प्रतिशत अथवा 30.00 लाख जो भी कम हो, अमानत राशि के रूप में जमा करानी होगी। राशि रूपये 10.00 करोड़ से अधिक के न्यूनतम बोली मूल्य पर अमानत राशि के रूप में रूपये 50.00 लाख अथवा न्यूनतम बिड़ मूल्य का 05 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, जमा करानी होगी।
- 2) उच्चतम बोलीदाता को विक्रय मूल्य की 10 प्रतिशत राशि पूर्व में जमा करायी गयी राशि को समायोजित करते हुए 72 घन्टे में जमा करानी होगी। यदि जमा कराने के अन्तिम दिन राजकीय अवकाश हो तो उसे आगामी कार्य दिवस को ही जमा करानी होगी।
- 3) शेष राशि मांग पत्र जारी होने की तिथि से 60 दिवस की अवधि में जमा करानी होगी। यदि बोलीदाता 60 दिवस में राशि जमा नहीं कराता है तो जमा राशि जब्त कर ली जावेगी और बोली स्वतः निरस्त हो जावेगी।
- 4) उक्त निर्धारित 60 दिवस में यदि उच्चतम बोलीदाता राशि जमा कराने के लिए समयावृद्धि हेतु आवेदन किया जाता है, तो यह मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक सीआरओ/राआम/2016-17/47/74 दिनांक 21.06.2016 में उल्लेखित शर्तों पर निर्धारित अन्तिम तिथि से अधिकतम आगामी 60 दिवस के लिए ही नियमानुसार समयावृद्धि बढ़ाई जा सकेगी। इस अवधि के पश्चात आवंटन बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त माना जायेगा।
- 5) बिड़ प्रस्तुत करने की निर्धारित अवधि/समय के पश्चात प्राप्त हुये मुहरबन्द बिड़ प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जावेगा।
- 6) बिड़ प्रस्ताव में यदि बिड़दाता द्वारा किसी शर्त का उल्लेख किया जाता है, तो ऐसे सशर्त बिड़ प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 7) बिड़दाता द्वारा परिसम्पत्ति की अकों में व शब्दों में प्रस्तुत बिड़ दर/राशि में अन्तर होने की स्थिति में, शब्दों में उल्लेखित बिड़ दर/राशि ही मान्य होगी।
- 8) किसी एक अथवा समस्त बिड़ प्रस्तावों को बिना कारण बताये, निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार राजस्थान आवासन मण्डल के पास सुरक्षित है एवं इस संबंध में कोई वाद/विवाद स्वीकार्य नहीं होगा।
- 9) आवासीय भूखण्ड/व्यावसायिक भूखण्ड/व्यावसायिक भूखण्ड/संस्थानिक भूखण्ड/ निर्मित आवास / निर्मित दुकान / निर्मित भवन "जहाँ है जैसा है" के आधार पर निस्तारित किये जायेंगे।
- 10) आवासीय भूखण्ड/व्यावसायिक भूखण्ड/व्यावसायिक भूखण्ड/संस्थानिक भूखण्ड/ निर्मित आवास/निर्मित दुकान/निर्मित भवन का वास्तविक माप एवं स्थिति मौके पर उपलब्ध अनुसार ही अंतिम होगा एवं तदनुसार ही गणना की जावेगी।
- 11) किसी परिसम्पत्ति हेतु प्राप्त मुहरबन्द बोली प्रस्तावों में से अधिक बोलीदाताओं द्वारा समान दर प्रस्तुत करने की स्थिति में, समिति द्वारा मौके पर उपस्थित एक समान बोलीदाताओं से बन्द लिफाफे में उसी समय पुनः दर प्राप्त की जावेगी। जोकि पूर्व में प्रस्तुत दर से कम नहीं होगी। किसी बोलीदाता के मुहरबन्द बिड़ खोले जाने के समय पर अनुपस्थित रहने की स्थिति में उसका दरों के संबंध में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
- 12) आवासीय भूखण्ड/निर्मित आवास पर लीज मनी की गणना भूमि की आरक्षित दर की सवा दो गुना दर पर 2.5 प्रतिशत वार्षिक एवं व्यावसायिक भूखण्ड/निर्मित दुकान पर लीज की गणना भूमि की वाणिज्यिक आरक्षित दर की 5% प्रतिशत दर से वार्षिक देय होगी।
- 13) आदेश क्रमांक एफ2(3)लागत/1024/379 दिनांक 23.9.2013 के अनुसार संस्थानिक आवंटन में लीज राशि आवंटित दर पर ली जावेगी।
- 14) बिड़ के संबंध में राजस्थान आवासन मण्डल के नियमों/शर्तों में समय-समय पर किये गये संशोधन/संवर्धन मान्य होंगे।
- 15) नीलामी बोली के नियमों/शर्तों एवं अन्य जानकारी मेरे द्वारा संबंधित कार्यालय/मण्डल की वेबसाईट www.rhbonline.rajasthan.gov.in से प्राप्त कर ली गयी है।
- 16) आवासीय/वाणिज्यिक भूखण्ड एवं संस्थानिक हेतु प्रति वर्गमीटर की दर से बिड़ प्रस्तुत करने के निर्देशों के विपरीत यदि बोलीदाता द्वारा सम्पूर्ण भूखण्ड की एकमुश्त कीमत बिड़ में भरी जाती है, तो ऐसी स्थिति में अन्य बोलीदाताओं की दरों से तुलना की दृष्टि से, एकमुश्त कीमत को विज्ञप्ति में दर्शित भूखण्ड के क्षेत्रफल से विभाजित कर प्रति वर्गमीटर दर निकाली जायेगी।
- 17) खुली बोली न्यूनतम 100/- रूपये के गुणक में स्वीकार होगी परन्तु यह शर्त मोहरबन्द निविदा पर लागू नहीं होगी।
- 18) सेवाकर एवं अन्य कर नियमानुसार अतिरिक्त वसूलनीय होंगे।

हस्ताक्षर बोलीदाता